



**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 499

दिनांक :- 19.6.2025

सेवा में,

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,
मेदिनीनगर।

विषय :- लातेहार जिला अंतर्गत बनहरदी कोल ब्लॉक हेतु कुल 515.32 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/147316/2021) के संबंध में।

प्रसंग :- 1. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक
8-18/2024-FC दिनांक 30.09.2024
2. आपका पत्रांक 279 दिनांक 06.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र-1 द्वारा बनहरदी कोल ब्लॉक हेतु कुल 515.32 हे० के हेतु
वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/147316/2021) में 37 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का निराकरण
प्रतिवेदन आपके कार्यालय पत्रांक 279 दिनांक 06.06.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त निराकरण
प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा निम्नवत् अंकित मंतव्य
के संदर्भ में निराकरण अपेक्षित है :-

भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा की गयी पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का मंतव्य	Observation
पृच्छा संख्या-9 The user agency in their justification reported that in the initial phase, 727.24 Ha shall be utilised for Mining, 12.24 Ha shall be topsoil preservation, 7.85 Ha for safety zone, 10.21 Ha for Haulage Road in mining, 5.58 Ha for road diversion, 35.7 Ha for Mine end infra, 7.58 Ha for garland drain and 219.68 shall be undisturbed considering the presence of coal in Underground mining method. The balance coal bearing area of 440 Ha shall be utilised for extraction of coal in the second phase as per the condition mentioned in the approved mining plan, presently earmarked for temporary OB dump, which shall be re-handled before commencement of mining in this area. However, the minable reserve in the 440 Ha land has not been given. Further, the status of land (forest & Non-forest land) involved in the first phase of mining comprising 727.24 ha land needs submission along with supporting maps, kml etc.	The justification submitted by user agency exclaims the adequate coal reserve and the project is site specific as per G.S.I. report, but U.A. has not submitted the detail of exploration report on private area i.e. non forest area as well as on the forest area. During processing the proposal No. FP/JH/SRY/450505/2023 few queries have been raised by IRO on 19.02.2025. U.A. has not submitted reply till date. In the absence of exploration data, it is difficult to ascertain site specificity of a forest land for diversion.	इस पृच्छा के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जाय।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा की गयी पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का मंतव्य	Observation
पृच्छा संख्या-14 A map along with KML file's showing the component wise/purpose wise utilisation of the proposed forest land, including the components proposed to be undertaken on the Non-forest land shall be uploaded on PARIVESH	Submitted by the user agency but the KML file does not match with the proposed land use map.	इस पृच्छा के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्तावित वनभूमि का KML प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जाय।
पृच्छा संख्या-17 As per DSS analysis Shape file/ KML file of forest land proposed for diversion is found 503.568 Ha (software calculated) instead of 515.32 ha as per the online proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded/updated	User agency has submitted modified KML file but as per the modified KML file the total area is coming out more than 515.32 ha and also village wise forest and JJ land area does not match with land schedule submitted by U.A. for diversion.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित KML File से कितना ज्यादा रकबा का KML समर्पित किया गया है, जबकि प्रयोक्ता अभिकरण से इसका पूर्ण निराकरण कराकर इस कार्यालय को भेजा जाना अपेक्षित था। इस तरह की अधूरी सूचना/प्रतिवेदन भेजने का औचित्य वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल समर्पित करेंगे तथा इस पर आप अपना मंतव्य सहित भेजेंगे।
पृच्छा संख्या-21 The land use details at the end of mine life as per the approved mining shall be submitted/uploaded	User Agency has not submitted proper land details at the end of mine life as per the approved mining plan.	इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से इसका पूर्ण निराकरण कराकर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा अग्रसारित किया जाना चाहिये था। परन्तु इस तरह की अधूरी सूचना/प्रतिवेदन भेजने का औचित्य वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल समर्पित करेंगे।

अतः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना में उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में वांछित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को निदेशित किया जाय कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में की गयी पृच्छाओं/Approval में लगाये गये शर्तों का पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित Timeline का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 499 दिनांक :- 19.6.2025

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।